कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com
Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक-2685 /12-1 मसूरी, दिनांक- 13 /02/ 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस० वाई०, सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा - नालीवाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal NO.- FP/UK/ROAD/156915/2022)
वृक्षों के पातन/कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-48/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०, दे०दून, दिनांक-11.01.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/76/2022/एफ०सी०/1103, दिनांक- 03.11.2023 के द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके अनुपालनार्थ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों के अनुरूप एन०पी०वी० व क्षतिपूरक देयताओं का भुगतान किया जा चुका है एवं अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दी गयी है।

चूंकि उक्त परियोजना एक रेखीय परियोजना (Linear Project) है, अत: भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 11/306/2014-FC, दिनांक-07-05-2015, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-941/X-4/18/1-05/(04)/2014, दिनांक-26-09-2018 एवं भारत सरकार द्वारा जारी हैण्डबुक के पैरा 11.1 प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में विषयांकित प्रकरण के निर्माण कार्य हेतु वृक्षों के पातन /कार्य आरम्भ करने की अनुमति, उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से किये गये अनुरोध के क्रम में तथा विधिवत् स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह अनुमति जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक ही वैद्य है।
2. यह अनुमति शासकीय/विभागीय नियमों व विभिन्न स्तर के मा० न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अधीन मानी जायेगी।
3. वृक्षों के छपान से पूर्व वन विभाग के पर्यवेक्षण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग के समरेखण के दोनो ओर स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा।
4. परियोजना में मोटर मार्ग के Right of way (RoW) में आने वाले कुल पेड़ों में से वास्तविक रूप से आवश्यकता के अनुसार वृक्षों का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 632 वृक्ष एवं 56 Saplings से अधिक नहीं होगी। वृक्षों पातन वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मौके पर सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 , भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं अन्य सुसंगत नियमों/आदेशों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त मानी जायेगी।

I.T. C. E.
उक्त सन्दर्भित पत्र को विभागीय पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड करें
16.2.2024

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

P.T.O.

संख्या : 2685 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक, आई०टी०जी०सी० एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुमति पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग, लाडपुर।
2. रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी